तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
23/1/23	प्रार्थी वकिल उपस्थित / विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड नोटिस भेजे गये, जिनको करीब 2 माह से अधिक समय हो चुका हैं, न्यायालय समय में तीन बार आवाज लगाने के बावजूद विप्रार्थीगण स्वंय या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विप्रार्थीगण के खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षिय बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया की प्रार्थी व विपगार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा–सेढ आये हुए हैं, प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खेतं की सीमाओं पर पुरानी माढे व कणें बने हुए थे जो वर्तमान में आधियों की वजय से बिखर गये जिससे प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के बिच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता हैं। इस कारण प्रार्थी के अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवानें बाबत् नेखमबन्दी करवाना आवश्यक हैं। इसलिए प्रार्थी के नेखमबन्दी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबन्दी आदेश किया जावें। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी को नेखमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता हैं कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ भू.अ.नि. से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेंखमबन्दी मौके पर कमिशनर शुल्क जमा करवाकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफतर हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला – बाड़मेर

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला बाड़मेर

कमांकः वाद / 2023 / 157 दिनांकः– 23.01.2023

राजस्व आवेदन संख्या 427 / 2022

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. खेमाराम पुत्र हनुमानराम जाति जाट निवासी नरसाली नाडी तहसील बायतु (बाड़मेर)		1. मंगलाराम पुत्र मंगनाराम वगैरा 23 निवासी जोगासर कुआ तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा–नरसाली नाडी पटवार हल्का–कोलू तहसील बायतु जिला–बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 1067/963 रकबा 7.8554 हैक्टेयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा हैं खातेदार को यह अधिकार हैं कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबन्दी करा सकता हैं। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अर्न्तगत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता हैं कि कमिशनर स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की मौके पर कमिशनर शुल्क 500/– जमा करवाकर करें। एवं पालना रिपोट पेंश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

23/1/2023

उपखण्ड अधिकारी बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला बाड़मेर

कमांकः वाद / 2023 / दिनांकः–

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एंव पालनार्थ प्रेषित हैं।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का कोलू को भेजकर लेख हैं कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी खेमाराम पुत्र हनुमानराम
4. विप्रार्थीगण मंगलाराम पुत्र मंगनाराम वगैरा 23
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु।

23/1/2023

उपखण्ड अधिकारी बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला बाड़मेर